

झारखण्ड वन हस्तक (Jharkhand Forest Manual) में वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन प्रस्तावित है। एनर्द्ध प्रक्रिया निर्धारण एवं Terms of Reference बनाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के निर्देशानुसार निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है।

1. डॉ० एच०एस० गुप्ता  
कार्या०-प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।
2. श्री राजीव रंजन,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक,  
प्रसार वानिकी दक्षिणी छोटानागपुर, राँची।
3. श्री आशीष रावत  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०, राँची।
4. श्रीमती शैलजा सिंह  
मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, राँची।

अध्यक्ष

सदस्य सचिव

निर्देशानुसार अनुरोध है कि समिति दिनांक 31.05.2019 तक अपनी अनुशंसाओं सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेगी।

(15/11/19)mm राजीव रंजन  
24.04.2019  
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन  
राँची।

ज्ञापांक : 1519  
दिनांक : 24.4.19  
प्रतिलिपि डॉ० एच०एस० गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण,  
झारखण्ड, राँची / श्री राजीव रंजन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी  
दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / श्री आशीष रावत, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०डी०ए०,  
राँची / श्रीमती शैलजा सिंह, मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/11/19)mm राजीव रंजन  
24.04.2019  
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन  
राँची।